



राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड डूंगरपुर

आवासीय मूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति अधिनियम 1970 के नियमानुसार खण्ड डूंगरपुर में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा आवासीय मूखण्डों की नीलामी निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है—

कॉलोनी का नाम				निविदा प्राप्त अधिकारी का पता	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय
शिवाजी नगर, डूंगरपुर				आवासीय अभियन्ता कार्यालय, सदर थाने के पास, डूंगरपुर	24.11.15 से 30.11.2015 सांय 5.00 बजे तक	01.12.2015 अपरान्ह 2.00 बजे
क्र.सं.	मूखण्ड/आवास सं.	मूखण्ड/आवास का नाप/क्षेत्रफल (वर्गमी. में)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (प्रवर्गमी.) / प्रति आवास	धरोहर राशि (रु. में)	मुहरबन्द प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्राकृतिक	
					निविदादाता का नाम श्रेणी - सामान्य/अनु.जाति/अनु.जब.जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)	
					पत्र व्यवहार का पता	
					स्थायी पता	
					दूरभाष मो.नं.	
					आवासीय/वाणिज्यिक आवास/मूखण्ड सं. (जिसके लिये मुहरबंद निविदा प्रेषित की जा रही है)	
					योजना का नाम	
					आवेदक द्वारा प्रस्तावित दर (मूखण्ड की विधि से दर प्रति वर्गमीटर को हिसाब से दर भरें, एवं निर्मित आवास की स्थिति में प्रति आवास को हिसाब से दर भरें)	
					संलग्न राशि रु. बैंक ड्राफ्ट सं. दिनांक	
					का नाम पैन नं. (जमा प्रति)	
					दस्तावेज निविदादाता	
					शिवाजी का प्राकृतिक	
					मूखण्ड/आवास संख्या योजना/सेक्टर का नाम	
					निविदादाता का नाम स्थायी पता	
(1) शिवाजी नगर, डूंगरपुर (आवासीय मूखण्ड)						
1	I-04	150.00	19420.00	145650.00		
2	I-05	97.50	19420.00	94672.50		

1. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/ प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है।
2. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध मूखण्ड/ आवास हेतु मोहरबंद प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी।
4. अमानत राशि ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर" के पास में देय होंगे।
5. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करने पर 72 घंटे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
7. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं करता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेंगी।
8. यदि बोलीदाता समय पर राशि जमा नहीं करता है तो ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद मुहरबंदी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी।
9. सीलबंद निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन मण्डल द्वारा लिया जायेगा।
10. मोहरबंद निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में, सौभाग्य द्वारा मौके पर उपस्थिति उन निविदा दाताओं से उसी दिन बंद लिफाफे में पुनः निविदा दर प्राप्त की जावेगी व उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जावेगा।
11. यदि किसी कंपनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी कंपनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/ कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव पत्र पर अनिवार्य होगा।
12. निर्मित आवास जहां है, जैसे हैं की स्थिति में ही नीलाम किये जा रहे हैं तथा आवास केवल आवासीय उपयोग हेतु ही उपयोग में लिये जा सकेंगे।
13. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।
14. आवासीय मूखण्डों के निर्माण में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक एवं संस्थानिक मूखण्ड अथवा मण्डल पर लीज राशि 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक एवं संस्थानिक मूखण्ड की प्रचलित आरक्षित दर पर देय होगी।

मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in

आवासीय अभियन्ता, खण्ड डूंगरपुर